



**भारतीय विज्ञन संस्थान Indian Institute of Science  
बैंगलूरु Bengaluru – 560 012  
छुटी यात्रा रियायत बिल  
Leave Travel Concession Bill**

(सभी स्थान अनिवार्य हैं। जो लागू ना हो उसे काट दें)

(All fields are mandatory. Please score out which is not applicable)

गृहनगर / गृहनगर के स्थान पर / भारत में कोई भी स्थान  
Hometown / In Lieu of Hometown / Any Place in India


**11. Details of Journey performed (Onward):**

प्रस्थान / Departure		आगमन / Arrival		यात्रा कि विधि / Mode of Travel	टिकट या पीएनआर सं. / Ticket or PNR No.	दूरी (कि.मी. में) Distance (in KMs)	दावा की गई राशि / Amount Claimed	टिपणी, यदि कोई हो / Remarks, if any.
तिथि / Date	स्थान / Place	तिथि / Date	स्थान / Place					

**12. Details of Journey performed (Return):**

प्रस्थान / Departure		आगमन / Arrival		यात्रा कि विधि / Mode of Travel	टिकट या पीएनआर सं. / Ticket or PNR No.	दूरी (कि.मी. में) Distance (in KMs)	दावा की गई राशि / Amount Claimed	टिपणी, यदि कोई हो / Remarks, if any.
तिथि / Date	स्थान / Place	तिथि / Date	स्थान / Place					

कुल सकल राशि: ₹ \_\_\_\_\_

Gross Total Amount: ₹ \_\_\_\_\_

अग्रिम, यदि कोई ली गयी हो: ₹ \_\_\_\_\_

Advance, if any withdrawn: ₹ \_\_\_\_\_

कुल देय / वसूली-योग्य राशि: ₹ \_\_\_\_\_

Total Amount Payable / Recoverable: ₹ \_\_\_\_\_

प्रमाणित किया जाता है कि:

Certified that:

- ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।  
The information as given above is true to the best of my knowledge and belief.
- यात्रा के लिए हवाई/ट्रेन/बस टिकट एवं बोर्डिंग पास संलग्न हैं।

The air / train / bus tickets and boarding pass(es) for the journey performed are enclosed.

3. मेरा जीवनसाथी सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी भी सरकारी सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय में कार्यरत नहीं है, या  
That my spouse is not employed in any Government service / Public Sector Undertaking / Corporations / Autonomous Body / Local Body financed by the Government, OR
4. मेरा जीवनसाथी सरकार द्वारा वित्तपोषित सरकारी सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय में कार्यरत है और उसने ब्लॉक-वर्ष \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ के लिए अलग से या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए एलटीसी का लाभ नहीं उठाया है एवं इस संबंध में उसके नियोक्ता का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।  
My spouse is employed in a Government service / Public Sector Undertaking / Corporations / Autonomous Body / Local Body financed by the Government and the LTC has not been availed of by him / her separately or for any of the family members for the block-year \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ from that organization and a certificate from his or her employer has been enclosed in this regard.
5. मैंने केवल अधिकृत यात्रा अभिकर्ता से ही टिकट बुक किया है | यदि यह पाया जाता है कि मैंने अधिकृत ट्रैवल अभिकर्ता के अलावा किसी अन्य माध्यम से टिकट बुक किया है, तो मेरा दावा जब्त कर लिया जाएगा और यदि अग्रिम भुगतान किया गया है, तो मैं अग्रिम की पूरी राशि एकमुश्त वापस कर दूँगा / दूँगी; या लागू नियमों के अनुसार दंडात्मक ब्याज सहित मेरे वेतन से एकमुश्त वसूल किया जाएगा और इस संबंध में संस्थान द्वारा किसी भी अन्य संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।  
I have booked the tickets from the authorized travel agents only. In case, it is found that I have booked the tickets through any other means, other than the authorized travel agents, my claim stands forfeited and if advance is drawn, I shall refund the entire amount of advance in one lump sum or the same may be recovered from my salary along with penal interest as per applicable rules and no further communication shall be entertained by the Institute in this regard.
6. मैं का.व् प्र.वि. के का.ज्ञ सं.1011/3/2015-स्था(ए. IV) दिनांक 18 फरवरी 2016 के अनुसार निर्धारित समय, जो कि अग्रिम निकासी के मामले में वापसी यात्रा की तिथि से तीस दिनों के भीतर अथवा अग्रिम न निकाले जाने की स्थिति में वापसी यात्रा की तिथि से साठ दिनों के भीतर के, अपना बिल जमा कर रहा हूँ / रही हूँ। ऐसा न करने की स्थिति मेरा दावा सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 292 और सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार समपहृत (जब्त) हो जाएगा।  
I am submitting this bill within the stipulated time, which in case advance is drawn then within thirty days from the date of return journey or if no advance is drawn then within SIXTY DAYS of the due date in accordance with DoPT OM No. No.31011/3/2015-Estt (A.IV) dated 18 February 2016 failing which my claim shall be forfeited in accordance with the provisions of Rule 292 of General Financial Rules, 2017 and Rule 14 of CCS (LTC) Rules, 1988.
7. समपहृत (जब्त)/त्याग हुआ/आंशिक या पूर्ण रूप से अप्रयुक्त छु.या.रि. अग्रिम के मामले में, मैं दंडात्मक ब्याज के साथ अग्रिम की पूरी या शेष राशि एकमुश्त वापस करूँगा / करूँगी या इसे, लागू नियमों के अनुसार, दंडात्मक ब्याज के साथ मेरे वेतन से एकमुश्त वसूल किया जा सकता है और आगे इस संबंध में संस्थान द्वारा किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।  
In case of forfeiture / deemed relinquishment / partially or fully unutilized LTC Advance, I shall refund the entire or balance amount of advance along with penal interest as per applicable rates in one lump sum or the same may be recovered from my salary along with penal interest as per applicable rates and no further communication shall be entertained by the Institute in this regard.

तिथि / Date:

आवेदक के हस्ताक्षर/

स्थान / Place:

Signature of the Applicant

आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए वित्तीय नियंत्रक को अग्रेषित।  
Forwarded to the Financial Controller for further necessary action please.

तिथि / Date:

अध्यक्ष / Chair

**केवल कार्यालय प्रयोगार्थ**  
**For Office Use Only**

प्रलेख सं./Document No. \_\_\_\_\_

कुल पारित राशि / Total Passed amount: ₹\_\_\_\_\_ डेबिट / Debit

अग्रिम के विरुद्ध समायोजन / Adjustment Against Advance: ₹\_\_\_\_\_ क्रेडिट / Credit

भुगतान हेतु कुल पारित राशि / Total Amount Passed for Payment: ₹\_\_\_\_\_

पर्यवेक्षक/Supervisor

सहा. कुलसचिव/Asst. Registrar

उप(संयुक्त) कुलसचिव / Deputy (Joint) Registrar (वि. व ले./F&A)